न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान सुखवन्त सिह बनाम सुखवीर सिह

ील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 263 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
30.10.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेण्ट सं0 1 की ओर से स्थगन प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष को सुना गया। अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 09.10.2023 के विरूद्ध पेश की है। धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने का निवेदन किया है। रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि अपील आदेश 09.10.2022 के विरूद्ध पेश नही की गई है। आवेदन पत्र में खाता सं0 170 / 148 की कुल 5.047 है0 भूमि में अपीलाण्ट ने अपना हक हिस्सा होना बताया है मगर कितना हिस्सा है यह आवेदन पत्र में दर्ज नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा क्यों जारी की जावे इसका कोई कारण नहीं बताया है। किस आधार पर स्थगन आदेश जारी किया जावे यह नहीं बताया है। प्रश्नगत भूमि अमरजीत कौर के नाम दर्ज है उसकी वह पूर्ण स्वामिनी है जिसके जीवनकाल में पुत्र, पोत्र का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपील पेश करने के बाद एक अन्य प्रार्थना–पत्र पेश किया कि वह अपील में पूरे तथ्यों का पता नही होने कोरण विड्रा पुनः सम्पूर्ण सही तथ्यों पर दोबारा अपील पेश करने की अनुमति के साथ पत्रावली विड्रा करवाना चाहता है। अतः अपील विड्रा करने के आदेश फरमावें। चूंकि अपीलाण्ट सम्पूर्ण तथ्यों के साथ दोबारा अपील पेश करना चाहता है। अतः न्यायहित में अपील सम्पूर्ण तथ्यों के साथ पुनः पेश करने की अनुमति के साथ अपील विड्रा करने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 30/10/23	

Scanned with OKEN Scanner